

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस


क्रमांक :- दुरुस्ती / 2024 /

दिनांक :-

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी प्रभुदयाल व रतनलाल के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र.स.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	13 एएमएस	101/99	प्रभुराम पुत्र हरचंद, साकिन साहुवाला	प्रभुदयाल पुत्र हरचंद साकिन साहुवाला,
2.	9 एएमएस	146/139	प्रभुराम पुत्र हरचंद, साकिन साहुवाला	रतनलाल पुत्र हरचंद, साकिन साहुवाला
3.	9 एएमएस	46/25	प्रभुदयाल पुत्र हरचंद, साकिन जनाना	प्रभुदयाल पुत्र हरचंद साकिन सहूवाला,
4.	2 बीबीएम	112/110	प्रभुदयाल पुत्र हरचंद साकिन जनाना	प्रभुदयाल पुत्र हरचंद, साकिन सहूवाला


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :-

क्रमांक:- सम/2024/

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रभुदयाल पुत्र हरचंद, रतनलाल पुत्र हरचंद साकिन साहुवाला को सूचनार्थ।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधी बड़ी।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ